राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ– 2231/2018/ दिनांक :–

–:: आदेश ::–

श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीग (भरतपुर) ने डॉ0 रतिराम, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनूथर तह0 डीग जिला भरतपुर के कहने पर परिवादी श्री गिर्राज उर्फ पप्पी पुत्र श्री बदन सिंह से दिनांक 31.10.2018 को 10,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है, को राज्यसेवा से निलम्बित किया जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13(II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उनकी गिरफ्तारी दिनांक 31.10.2018 से राज्यसेवा से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के कार्यालय में रहेगा तथा इन्हें निलम्बनकाल में नियमानुसार वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ– 2231/2018/1870 दिनांक :– 15/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–भरतपुर/जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्र.नि.ब्यू./अशा/2192–95 दिनांक 01.11.2018 के क्रम में।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिक द्वारा मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अवगत करावे एवं यह सुनिश्चित करले कि वे आपकी पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े तथा नियमित रूप से उपस्थिति अंकित करें।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीग, जिला–भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिक को निलम्बन में मुख्यालय पर उपस्थिति देने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर सूचित करे।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित/डी.पी.सी. अनुभाग, मुख्यालय।
7. श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (निलम्बित) द्वारा क्रम संख्या–05 के।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।